

**क्षतिपूरक वनीकरण कराए जाने हेतु क्षेत्र की उपलब्धता एवं क्षेत्र
उपयुक्तता प्रमाण-पत्र
(Area Suitability Certificate)**

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद जौनपुर में आरक्षित वनभूमि नहीं है। अतः संरक्षित वनभूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित लुम्बनी-दुद्धी मार्ग (जौनपुर-भदोही) किमी 0 268 से 270 के मध्य बायी पटरी पर भूमि उपलब्ध है तथा यह वृक्षारोपण हेतु प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से उपयुक्त है, तथा सभी प्रकार के अतिक्रमण एवं अधिकार से मुक्त है।

(ए०पी० पाठक)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
जौनपुर